an>

Title: Need to give payment to sugarcan farmers in Western Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तथा विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान न किये जाने से किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। आप स्वयं उसी क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए आपको इन बातों की पूरी तरीके से जानकारी भी है। इस मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवमानना की जा रही है। आज भी चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का लगभग सात हजार करोड़ से अधिक का भुगतान बकाया है, जिसमें से लगभग 1590 करोड़ रुपया केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। गन्ने के भुगतान के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। भुगतान न होने से आज हालत यह है कि अपने दैनिक खर्चों के लिए भी किसान परेशान है, बच्चों की फीस और बिलों का भुगतान करने में असमर्थ है। परिवार में मंगल कार्य विवाह आदि टाले जा रहे हैं। मैं पूरी जानकारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। प्रदेश सरकार तथा चीनी मिल मालिकों के षड़यंत्र का शिकार वहां का गरीब गन्ना किसान हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, ताकि किसानों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सके तथा ऐसी व्यवस्था भी की जाये कि भविष्य में इस प्रकार का षड़यंत्र गन्ना किसानों के साथ सम्भव न हो।

बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।